International Journal of Education and Science Research
Review P-ISSN 2349-1817, E- ISSN 2348-6457
www.ijesrr.org February- 2018, Volume-5, Issue-1 Email- editor@ijesrr.org

कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थितिः एक मूल्यांकन

Dr. Pratibha Rawat
Assistant Professor
Chandrawati Tiwari Kanya P.G. College
Kashipur (Udham Singh Nagar)

औद्योगिक ढाँचे में औद्योगिक श्रमिकों का वर्ग सर्वाधिक शोषित एवं उपेक्षित रहा है। सामाजार्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में समाज विज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने श्रम कल्याण के महत्व को अनुभव किया है। अपने संगठन एवं राष्ट्रीय आय में सार्थक योगदान के कारण औद्योगिक श्रम का देश के औद्योगिक/आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में सन्तुष्ट औद्योगिक श्रम जहाँ एक ओर देश का गौरव होता है वहीं दूसरी ओर इसकी असन्तुष्टि से उत्पादिता में गिरावट आती है जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन कम हो जाता है और इस प्रकार कुल उत्पादन में कमी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कमी आ जाती है। विगत तीन दशका में औद्योगिक श्रम के एक नये वर्ग का विकास हुआ है जिसकी जड़ें कृषि में नहीं अपितु जो स्थायी रूप से नगरों और कस्बों में ही रहता है। श्रम हितों की रक्षार्थ एवं उन्हें प्रोन्नत करने के उद्देश्य से श्रम संघ संघर्ष करते हैं। ये श्रम संघ हड़ताल आदि का सहारा लेकर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के उन्नयन की दिशा में पर्याप्त सीमा तक सफल हुए हैं।

सन् 1926 में श्रम संघ अधिनियम के पारित हो जाने के कारण पंजीकृत श्रम संघों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण हो कहा जा सकता है कि श्रम संघों की अधिक संख्या एवं आपसी फूट तथा खींचतान के कारण वृद्धित मुद्रास्फीति के दौर में भृत्ति–दरों में वांछित वृद्धि नहीं हो पायी है अर्थात् वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है तथा श्रमिकों को छंटनी जैसे निर्मम निर्णय का भी सामना करना पड रहा है। औद्योगिक मन्दी, रूग्णता एवं कुप्रबन्धन का प्रभाव यह होता है कि कारखाने एवं मिल या तो बन्द होने लगते हैं या फिर वे अस्थायी श्रमिकों की छंटनी करने लगते हैं ताकि दुर्बल आर्थिक स्थिति से स्वयं को उबार सकें जबकि उद्योगों की इस दुर्दशा में श्रमिकों का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं होता है। प्रबन्धन की अदक्षता एवं अकार्यकुशलता का भार श्रमिकों को अनावश्यक रूप से वहन करना पड़ता है। इस स्थिति का दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की मजदूरी–दरों में बलात् कटौती की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आती है।

यह अनुभवजन्य तथ्य है तथा सर्वेक्षण परिणाम भी परिलक्षित करते हैं कि सरकारें उद्योग, उद्योगपति, औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक आस्थान, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक वित्त पर तो पर्याप्त ध्यान देती हैं परन्तु प्रदूषण, औद्योगिक सुरक्षा एवं आधारभूत ढाँचे पर कम ध्यान देती हैं जबकि इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक श्रम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। यही कारण है कि उद्योग के इस सक्रिय साधन की उपेक्षा समाज एवं राष्ट्र को महंगी पड़ रही है। निम्न मजदूरी दरों, अर्द्ध बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता तथा सुदृढ़ संगठन के अभाव का सामूहिक प्रभाव यह स्पष्ट हो रहा है कि श्रमिकों के शोषण में अभिवृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप वे दयनीय जीवन बिता रहे हैं।

औद्योगिक श्रम अधिकांशतः आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों के निर्धन वर्गों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले होते हैं। औद्योगिक श्रम के अध्ययन हेतु सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों, कार्यदलों तथा समितियों के प्रतिवेदनों में देश के औद्योगिक श्रम की आर्थिक स्थिति को अत्यन्त दयनीय दर्शाया गया है। कुल कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रम का भाग लगभग 18.2 प्रतिशत है।

कुमाऊँ क्षेत्र के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों का एक बड़ा भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहा है। उसकी आर्थिक–स्थिति निम्न से निम्नतर होती जा रही है। औद्योगिक श्रमिकों में संगठनात्मक क्षमता का अभाव, दुर्बल सौदाकारी शक्ति तथा श्रम की अति–उपलब्धता कुछ ऐसे घटक हैं जिनके कारण मजदूरी दरों में मुद्रा–स्फीति के सापेक्ष वृद्धि नहीं हो पाई। परिणामतः श्रमिकों की आर्थिक दशा में गिरावट आती गई। अधिकांश औद्योगिक श्रमिक ग्रामीण परिवेशयुक्त हैं जिनके पास स्थाई परिसम्पदा का अभाव है। परिसम्पत्तियां जीविकोपार्जन हेतु आय जुटाने का साधन होती हैं। (प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत औद्योगिक श्रम में कुशल, अर्द्ध–कुशल व अकुशल तीनों ही प्रकार के श्रम को सम्मिलित किया गया है।)

कुमाऊँ क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तरीय आद्योगिक इकाइयों में नियोजित औद्योगिक श्रमिकों का न्यादर्श द्वारा चयन निम्न प्रकार किया गया है।

तालिका

औद्योगिक इकाई स्तर के अनुसार चयनित श्रमिक

औद्योगिक इकाई का स्तर या आकार	चयनित श्रमिकों की संख्या
वृहद्स्तरीय	140
मध्यमस्तरीय	100
लघुस्तरीय	60
योग	300

सम्पूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र में कुल 86 वृहद्स्तरीय इकाइयां हैं जिनमें से दैव निदर्शन प्रणाली एवं स्तरित निदर्शन के आधार पर 14 इकाइयों का चयन किया गया है। प्रत्येक इकाई में से 10 श्रमिकों का चयन विभिन्न आधारों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसी प्रकार पूरे कुमाऊँ क्षेत्र में कुल 250 मध्यमस्तरीय इकाइयां हैं जिनमें से दैव निदर्शन एवं स्तरित निदर्शन के आधार पर 25 इकाइयों का चयन किया गया है। प्रत्येक मध्यमस्तरीय इकाई में से 4 श्रमिकों का विभिन्न आधारों पर चयन किया गया है। क्षेत्र में लघुस्तरीय इकाइयां की संख्या 4500 से भी अधिक है। इनमें से दैव निदर्शन के आधार पर 60 इकाइयों का चयन किया गया है। उक्त चयन में इन इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पाद की प्रकृति यथा खाद्य सामग्री, प्लाइवुड, मैटल प्रोडक्टस, इंजीनियरिंग वर्क्स, कृषि उपकरण, इलैक्ट्रिकल्स, कैमिकल प्रोडक्टस आदि को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक इकाई से एक श्रमिक का चयन किया गया है। (न्यादर्श में केवल उन्हीं इकाइयों को शामिल किया गया है) जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से उत्पादनरत हैं क्योंकि श्रम गतिशीलता एक समय लेने वाली गतिविधि है। एक उद्योग, स्थान या कृत्य में नियोजित श्रमिक कुछ कारणों से ही अन्य उद्योग, स्थान या कृत्य का चयन करता है और इन कारणों के प्रति आकर्षण में समय लगता है।

कौशल स्तर में वृद्धि का परिणाम होता है– उत्पादिता में वृद्धि। उत्पादिता में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि होती है जिसका परिणाम होता है– प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी। इस प्रकार प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी का परिणाम होता है– लाभप्रदता में वृद्धि। औद्योगिक श्रमिक अपने कौशल स्तर के उन्नयन द्वारा अपनी मजदूरी एवं पारिश्रमिक में वृद्धि करने के इच्छुक होते हैं ताकि अपने जीवन–स्तर का उन्नयन कर सकें। यह अनुभवजन्य तथ्य है कि लघुस्तरीय उपक्रमों की तुलना में मध्यमस्तरीय एवं वृहदस्तरीय औद्योगिक इकाइयों में अपेक्षाकृत अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। औद्योगिक इकाइयों के निवेश, उत्पादन प्रक्रिया एवं वांछित कौशल स्तर को ध्यान में रखकर ही कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों का चयन किया गया है जो तालिका से स्पष्ट है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि कौशल स्तर जितना उच्च होगा श्रम गतिशीलता उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत निम्न कौशल स्तर होने पर गतिशीलता स्तर में भी कमी आ जाती है। अकुशल एवं अर्द्ध–कुशल श्रमिक एक ही उद्योग, स्थान अथवा कृत्य पर लम्बे समय तक नियोजित रहते हैं।

तालिका

कौशल स्तर आधार पर श्रमिकों का चयन

औद्योगिक इकाई का स्तर या आकार	चयनित श्रमिकों की श्रेणी			
	कुशल	अर्द्ध–कुशल	अकुशल	कुल श्रमिक
वृहद्स्तरीय	80 (57.1)	38 (27.2)	22 (15.7)	140 (100.0)
मध्यमस्तरीय	48 (48.0)	28 (28.0)	24 (24.0)	100 (100.0)
लघुस्तरीय	12 (20.0)	27 (45.0)	21 (35.0)	60 (100.0)
कुल	140 (46.7)	93 (31.0)	67 (22.3)	300 (100.0)

नोट : कोष्ठक में दी गई सूचना कुल का प्रतिशत हैं।

उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित समंक का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि वृहद्स्तरीय इकाइयों में से चयनित श्रमिकों में 57.1 प्रतिशत कुशल, 27.2 प्रतिशत अर्द्ध–कुशल तथा 15.7 प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं। मध्यम–स्तरीय औद्योगिक इकाइयों में से चयनित श्रमिकों में 48 प्रतिशत कुशल, 28 प्रतिशत अर्द्ध–कुशल तथा 24 प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं। इसी प्रकार लघुस्तरीय इकाइयों में से चयनित कुल 60 श्रमिकों में 20 प्रतिशत कुशल, 45 प्रतिशत अर्द्ध–कुशल तथा 35 प्रतिशत अकुशल श्रमिक है। यदि समग्र रूप में विश्लेषण किया जाये तो हम पाते हैं कि चयनित कुल 300 श्रमिकों में से 46.7 प्रतिशत कुशल, 31 प्रतिशत अर्द्ध–कुशल तथा 22.3 प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं। ये प्रतिशत कुमाऊँ क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिशत से पूर्णतया मेल खाते है।

औद्योगिक श्रमिकों के जीवन एवं रहन–सहन को गहन रूप से जानने का प्रयास किया गया। औद्योगिक श्रमिकों के परिवार के मुखियाओं, स्त्रियों, समाज सेवियों, श्रम अधिकारियों एवं उद्योग से सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों तथा प्रबुद्ध छात्र/छात्राओं से सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करके औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। विभिन्न जातिगत समूहों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके रीति–रिवाजों, तीज–त्यौहारों तथा परम्पराओं का अध्ययन किया गया तथा कार्य स्थल पर भागीदार बनकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। (उभयनिष्ठ विशेषताओं को दृष्टिगत रखकर प्रतिनिध इकाइयों का चयन किया गया। न्यादर्श चयन में दैव निदर्शन, स्तरित निदर्शन तथा सविचार निदर्शन प्रणालियों का उपयोग किया गया ताकि चयनित इकाइयां पक्षपातरहित एवं पूर्ण प्रतिनिधि हों।)

आर्थिक चर

परिवर्तन के किसी भी अध्ययन में परिवर्तन के वाहक के आर्थिक स्तर तथा पृष्ठभूमि की गत्यात्मक या आधुनिकीकृत जाँच–पड़ताल आवश्यक है। नवीन विचारों, नवीन तकनीकों तथा जीवन के नवीन ढंगों का ग्रहणीकरण पर्याप्त सीमा तक समूह की आर्थिक विशेषताओं द्वारा प्रभावित होता है। आर्थिक चर न केवल व्याख्यात्मक चर हैं जो अध्ययनित समूह में घटित परिवर्तनों का वर्णन करते हैं अपितु ये मापक प्राचल भी हैं जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि समूह में कितना तथा किस दिशा में परिवर्तन घटित हुआ है। इसलिए आर्थिक परिवर्तन के प्रत्येक अध्ययन में व्यक्तिगत प्रत्यर्थियों एवं उनके परिवारों की भृत्ति एवं आय, व्यवसाय भूस्वामित्व, रहन–सहन का स्तर, स्थायी परिसम्पदा का स्वामित्व सम्बन्धी सूचना का संग्रहण एवं उपयोग किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है–

1.भृत्ति एवं आय

भृत्ति एवं आय औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक दशा में उन्नयन की दिशा में प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करते हैं। औद्योगिक रोजगार द्वारा श्रमिकों की वास्तविक भृत्ति एवं आय में वृद्धि होनी चाहिए। परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि वास्तविक भृत्ति एवं आय में गिरावट के फलस्वरूप कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक दशा धीरे–धीरे खराब होती चली गई। स्फीतिक दबावों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम– 1948 के प्रावधानों के उल्लघंन तथा सरकार की नियामक, नियन्त्रक तथा अनुश्रवण अभिकरणों की कार्य एवं क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण औद्योगिक श्रमिकों की वास्तविक भृत्ति एवं आय में अधोगामी उपनति परिलक्षित हुई। मजदूरी का निर्धारण उद्योगों की आयोपार्जन क्षमता, श्रम की सीमान्त उत्पादिता, कौशल–स्तर, कृत्य की प्रकृति, वर्ष में कुल कार्य–दिवसों की संख्या तथा श्रमिकों द्वारा उपभोग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा एवं कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मशीनीकरण, स्वचालन एवं आधुनिकीकरण का सामूहिक प्रभाव यह पड़ा है कि रोजगार के अवसरों में पर्याप्त कमी आई है जिससे श्रम माँग में कमी के परिणामस्वरूप मजदूरी–दरों में कमी आई है।

निम्न शैक्षणिक–स्तर तथा तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण की कमी के कारण भी कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक कम मजदूरी पर कार्य करने को विवश हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जीवन–निर्वाह मजदूरी से आशय मजदूरी की उस राशि से है जिसकी सहायता से श्रमिक अपने तथा अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके यथा–बच्चों की शिक्षा, बीमारियों से संरक्षण, वृद्धावस्था के दौरान बीमा/पेंशन आदि की व्यवस्था। **न्यायाधीश हिगिन्स** के अनुसार, ''निर्वाह मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक की भोजन, आवास, वस्त्र, सामान्य आराम, कठिन समय के लिए बचत सम्बन्धी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करती है तथा कलाकार की कला को पर्याप्त सम्मान प्रदान करती है।[1] न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे श्रमिक अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। भारत में प्रायः 5 सदस्यों का परिवार माना जाता है।

जहाँ तक न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रश्न है इस दृष्टि से डॉ० पटवर्धन का सुझाव है कि एक श्रमिक की प्रतिदिन की भोजन की आवश्यकता 2700 कैलोरी होती है जो सामान्यतः मान्य है। आवास की दृष्टि से 100 वर्ग फीट छतदार स्थान न्यूनतम है। प्रति व्यक्ति 35 गज वस्त्र वार्षिक न्यूनतम आवश्यकता मानी गई है। **अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन** के अनुसार ''औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकता 2750 कैलोरी से लेकर 3500 कैलोरी प्रतिदिन है।'' भारत में **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** औद्योगिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए लागू है। जीवन निर्वाह मजदूरी से श्रमिक को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, कार्यक्षमता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन–स्तर में सुधार आता है, नैतिक स्तर में सुधार आता है तथा कार्य में रूचि बढ़ती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादिता में वृद्धि होती है तथा औद्योगिक शान्ति बनी रहती है।

न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण में मुद्रा–स्फीति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुद्रा–स्फीति में वृद्धि जीवन निर्वाह लागत को बढ़ा देती है। योजनाकाल में भारत में मुद्रा–स्फीति की औसत दर निम्न प्रकार रही–

तालिका

भारत में योजना काल में मुद्रा–स्फीति की औसतन दर

याजना (योजना काल)	मुद्रा–स्फीति की दर (प्रतिशत में)
प्रथम (1951–56)	3.1
द्वितीय (1956–61)	5.4
तृतीय (1961–66)	5.8
चतुर्थ (1969–74)	9.0
पंचम (1974–79)	6.3
छटीं (1980–85)	9.7
सातवीं (1985–90)	6.7
आठवीं (1992–97)	7.9
नवीं (1997–2002)	5.0
दसवीं (2002–07)	5.8
ग्यारवीं (2007–12)	8.9
बारहंवी (प्रथम दो वर्ष)	9.3

स्रोत : आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अंक

मुद्रा–स्फीति के कारण रूपये के मूल्य में निरन्तर गिरावट आई है। रूपये की क्रय शक्ति में आये इस ह्रास को निम्नलिखित तालिका की सहायता से दर्शाया जा सकता है–

तालिका

भारत में 1 रूपये की क्रय शक्ति (आधार वर्ष 1960)

वर्ष	क्रय शक्ति (पैसे में)
1961	96.2
1971	52.6
1981	22.7
1991	9.6
2001	3.9
2011	1.6
2013	1.3

Source: Statitical Outline of India 2013-14

उपर्युक्त तालिका दृष्टिपात से स्पष्ट होता है कि सन् 1960 के 1 रूपये की क्रय शक्ति सन् 2013 में घटकर मात्र 1. 3 पैसे रह गई है अर्थात 52 वर्षों में लगभग 74 गुना मँहगाई बढ़ गई है जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रयुक्त सूचकांक निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किये गये है:–

तालिका

औद्योगिक श्रमिक सूचकांक (नई श्रंखला 2004–05)

वर्ष	आधार वर्ष
महीनों का औसत	2004–05 = 100
2004–05	100.0
2005–06	104.4
2006–07	111.4
2007–08	118.3
2008–09	129.1
2009–10	145.0
2010–11	158.3
2011–12	172.4
2012–13	188.5
2013–14	206.4

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, 2013–14

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 10 वर्षों में औद्योगिक श्रम सूचकांक में 106.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में औद्योगिक श्रम सूचकांक निर्माण हेतु 264 वस्तुओं की कीमतों का प्रयोग किया जा रहा है। सूचकांक निर्माण में भारांश निम्न प्रकार प्रदान किये जाते हैं–

तालिका

औद्योगिक श्रम सूचकांक निर्माण में प्रदत्त भारांश

मद का नाम	प्रदत्त भारांश (प्रतिशत में)
खाद्य वस्तुएं	57.00
खाद्य–भिन्न वस्तुएं	3.15
ईंधन व प्रकाश	6.28
वस्त्र	8.54
आवास	8.67
विविध समूह	16.36
योग	100.00

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, 2012–13

उपर्युक्त तालिका पर दृष्टिपात से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य वस्तुओं को दिये गए भारांश के आधार पर यह अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है कि भारत में खाद्यान्नों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुइ है। जीवन–यापन की लागत में वृद्धि हुई है। जीवन–यापन की लागत पर कीमत–वृद्धि के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक उपयुक्त सूचकांक नहीं माना जाता है। इसके लिए औद्योगिक कामगारों के लिए प्रयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई. डब्ल्यू.) ही उपयुक्त माना जाता है जिसमें चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं और जिसे खुदरा मूल्यों के आधार पर मापा जाता है, को ही सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यही सामान्य मुद्रा स्फीति का उपयुक्त संकेतक है। इस सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश अधिक (57 प्रतिशत) होने के कारण जीवन निर्वाह लागत पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का अधिक सटीक मूल्यांकन किया जा सकता है। उक्त सूचकांक **अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग** और **राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग** की अनुशंसाओं के अनुरूप है। सूचकांक को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सन् 2004–05 से लेकर 2013–14 तक प्रतिवर्ष औसतन 7.5 प्रतिशत कीमत वृद्धि हुई है। (ज्यामितीय माध्य द्वारा परिगणन)

2.ऋणग्रस्तता की स्थिति

वास्तव में ऋणग्रस्तता स्वयं में दयनीय आर्थिक दशा का अभिसूचक है। कुमाऊँ क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि का मुख्य कारण है–मुद्रा–स्फीति में बेतहाशा वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिकों की वास्तविक आय में गिरावट तथा बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि। ऋण का बोझ पीढ़ी–दर–पीढ़ी अन्तरित होता रहता है। ऋणग्रस्तता की चपेट में आये श्रमिकों का प्रतिशत अभी भी अधिक है बावजूद इसके ऋणग्रस्तता के परिमाण में कमी लाने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के अध्ययनोपरान्त स्पष्ट हुआ है कि– श्रमिकों द्वारा जो ऋण लिये गये हैं वे उत्पादक कार्यो हेतु नहीं लिये गये अपितु उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिये गये हैं यथा–उपभोग पर पारिवारिक व्यय, विवाह, जन्म तथा मृत्यु से सम्बन्धित सामाजिक रीति–रिवाजों का निर्वहन, मुकदमे बाजी इत्यादि। चूँकि इस प्रकार के ऋणों का उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं होता इसलिए इनकी वापसी असम्भव हो जाती है। इसी का प्रभाव होता है कि इस प्रकार के ऋणों की अवशिष्ट राशि पीढ़ी–दर–पीढ़ी बढ़ती जाती है। अधिकांश औद्योगिक श्रमिकों की आय इतनी कम है कि वे अपने बूते इस प्रकार के अनुत्पादक व्ययों की व्यवस्था करने में स्वयं को नितान्त असमर्थ पाते हैं। अधिकांश औद्योगिक श्रमिकों का पारिवारिक व्यय उनकी आय से अधिक है जिस कारण वे अनुत्पादक ऋण–भार से स्वयं को बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसी दशा में इन श्रमिकों को ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने व्ययों को पूर्ति के लिए विवश होना पड़ता है जिसका परिणाम होता है– ऋण–भार में उत्तरोत्तर वृद्धि।

कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता–स्थिति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अनुसूची का प्रयोग किया गया है–

औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता–स्थिति

1. ऋण लेने का उद्देश्य : (3) का निशान लगाये

अ– आधारभूत सुविधाओं हेतुः–

1– मकान का क्रय अथवा संनिर्माण 2– सवारी का साधन
3– विद्युत/जल व्यवस्था 4– अन्य सुविधा।

ब– सामाजिक एवं धार्मिक रीति–रिवाजों हेतुः–

1– विवाह समारोह 2– शिशु जन्मोत्सव
3– मरणोपरान्त भोज की व्यवस्था 4– अन्य समारोह/रीति–रिवाज

स– अन्य उद्देश्यः

1– बीमारी का इलाज 2– मुकदमेबाजी
3– पारिवारिक उपभोग 4– उत्पादक कार्य
5– अन्य उपभोग

2. ऋण का स्रोत : (3) का निशान लगायें
अ– नियोक्ता
ब– मित्र या रिश्तेदार
स– संगठित मुद्रा बाजारः
1– राष्ट्रीयकृत बैंक 2– सहकारी बैंक/समितियां 3– अन्य

द– असंगठित मुद्रा बाजारः
1– दुकानदार 2– देशी बैंकर या महाजन 3– अन्य

3. ऋण की राशि : (3) का निशान लगाये
1– 50000 रूपये से कम
2– 50000 रूपये से अधिक परन्तु 100000 रूपये से अधिक नही
3– 100000 रूपये से अधिक परन्तु 200000 रूपये से अधिक नहीं
4– 200000 रूपये से अधिक परन्तु 400000 रूपये से अधिक नहीं
5– 400000 रूपये से अधिक

ऋण की बकाया राशि की उपर्युक्त सीमाओं का निर्धारण प्रत्यर्थियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है। इन वर्गों में न्यादर्श में सन्निहित सभी इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। ऋणग्रस्तता–स्तर का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है

अ– उच्च (यदि ऋण की बकाया राशि श्रमिक की वार्षिक आय के 6 गुने से अधिक है)
ब– मध्यम (यदि ऋण की बकाया राशि श्रमिक की वार्षिक आय के दुगुने से अधिक है परन्तु 6 गुने से कम है)
स– निम्न (यदि ऋण की बकाया राशि श्रमिक की वार्षिक आय से दुगुने से कम है)

औद्योगिक श्रमिकों के ऋणग्रस्तता–स्तर को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों का ऋणग्रस्तता–स्तर

ऋणग्रस्तता–स्तर	श्रमिकों का प्रतिशत
उच्च	5.64
मध्यम	24.38
निम्न	69.98
योग	100.00

स्रोत : सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित

आलोच्य अवधि में श्रमिकों की औसत वार्षिक आय मात्र 84000 रूपये रही है जबकि कुल श्रमिकों में ऋणग्रस्त श्रमिकों का भाग 14 प्रतिशत रहा एवं ऋण की औसत राशि 42600 रूपये से लेकर 4,15,200 रूपये तक रही। ऋण की राशि में निरन्तर वृद्धि के मुख्यतः दो कारण स्पष्ट हुए हैः–

1– निम्न ऋण पुनर्वापसी (अदायगी) क्षमता तथा
2– उच्च ब्याज दर

पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि वृद्धित मुद्रा–स्फीति के कारण औद्योगिक श्रमिकों की वास्तविक आय में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों को अपने पारिवारिक व्ययों की पूर्ति में अत्यन्त कठिनाई का

सामना करना पड़ रहा है। जब रोजमर्रा के व्ययों की पूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में बचत की तो कल्पना भी नहीं जा सकती है। बचत न होने के कारण ऋण के पुनर्भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ब्याज दरों के उच्च होने के कारण भी ऋण–भार बढ़ता जा रहा है।

3.आवास–व्यवस्था

औद्योगिक विकास का आवास–स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि औद्योगिक श्रमिकों की पारिवारिक आय में वृद्धि होती है तो इससे उन्हें आवास–निर्माण का अवसर प्राप्त होता है। यदि परिवार की मासिक आय में से कुछ बचत सम्भव हो पाती है तो उसका उपयोग कच्चा अथवा पक्का आवास–निर्माण में किया जा सकता है। कुमाऊँ क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने श्रमिकों के लिए अभी तक आवासों का निर्माण नहीं कराया गया है। श्रमिक परिवारों में रोजगारयुक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर वे शरीर एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में आवासीय भूमि का क्रय करके उस पर अपने स्वयं के मकान का निर्माण कराकर वासित हो सकते है। सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि बहुत से औद्योगिक श्रमिक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने तथा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 2.4 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों ने क्षेत्र के नगरीय उप–क्षेत्रों में भूमि क्रय करके अपने लिए आवासो का निर्माण सम्पन्न कराया है ताकि अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए नगरीय एवं उप–नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध शैक्षणिक, चिकित्सीय, परिवहन, संचार तथा बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। कुमाऊँ क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों में से अध्ययन काल में न्यादर्श आधार पर चयनित 300 श्रमिकों के आवास स्तर में निम्न परिवर्तन परिलक्षित हुआ है:–

तालिका

कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की आवास व्यवस्था में परिवर्तन

आवासीय स्थिति	मार्च 2009 की स्थिति	मार्च 2014 की स्थिति	परिवर्तन (प्रतिशत में)
कच्चा मकान	144	120	–16.67
पक्का मकान (सादा–एक कमरे वाला)	99	69	–30–30
पक्का मकान (सादा–दो या अधिक कमरों वाला)	42	87	+107.14
पक्का मकान (संगमरमर या पत्थर युक्त)	15	24	+60.00
योग	300	300	

स्रोत : स्व–सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित

उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित कच्चे मकान की परिभाषा के अन्तर्गत वे समस्त मकान आच्छादित हैं जिनकी दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हैं परन्तु छतें खपरैल की हैं अथवा सीमेन्ट की चादरों की हैं अथवा लकड़ी के लठ्ठों पर पेड़ों की टहनियों, बड़ी–बड़ी घास तथा गारे के सम्मिश्रण से बनी हैं। पक्को ईंटों की दीवारों परन्तु खपरैल या सीमेण्ट की चादरोंयुक्त मकान भी कच्चे मकान ही माने गये हैं। पक्के मकान से अभिप्राय ऐसे मकान से है जिसकी छत लिण्टर वाली हो तथा फर्श पक्का हो। तालिका में प्रदर्शित समंक का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि विगत 5 वर्षों में कच्च मकानों में रहने वाले श्रमिकों की आवासीय स्थिति में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु कच्चे मकानों की संख्या में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है। जिन निर्धनता रेखा (बी.पी.एल.) के नीचे रहने वाले श्रमिकों के पास कच्चे मकान थे उनमें से 24 श्रमिकों ने एक–एक कमरे वाले पक्के मकान (सादे) निर्मित करवा लिये हैं। इस प्रकार एक–एक कमरे वाले पक्के मकान 123 (99+24) हुए जिनमें से 45 मकानों में एक या अधिक कमरों की वृद्धि हुई है तथा 9 मकानों में फर्श या तो संगमरमरयुक्त है अथवा उनमें पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार एक–एक कमरे वाले पक्के मकानों की संख्या घटकर 69 (123–54) रह जाती है। संगमरमरयुक्त अथवा पत्थर लगे फर्शयुक्त मकानों की संख्या 15 से बढ़कर 24 हो गई है।

हमारे सर्वेक्षण परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ऐसे औद्योगिक श्रमिक जो बी.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं अपनी वृद्धिशील आय का उपयोग आवास व्यवस्था के विस्तारीकरण तथा सुदृढ़ीकरण में करते हैं। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि निधन व्यक्तियों के पास जीवन–यापन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। यही कारण है कि वे अपनी सम्पूर्ण आय को उपभोग एव टिकाऊ वस्तुओं के क्रय पर व्यय कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप बचतों की राशि अत्यन्त न्यून ही रहती है। बचतों में कमी के कारण यह वर्ग भावी आयोपार्जन हेतु विनियोग करने की स्थिति में नहीं होता तथा केवल सरकारी सहायता, उपादान एवं ऋण पर ही निर्भर रहता है।

पक्क एवं उन्नत आवासों की ओर प्रवृत्ति में वृद्धि विकासपरक चिन्तन का अभिसूचक है। उद्योग भी श्रम आवास–निर्माण पर होने वाले व्यय को अनावश्यक, अनुपयोगी एवं अनुत्पादक मानता है।

4.श्रम परिवार व्यवसाय

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 40.67 प्रतिशत श्रमिकों के परिवार का व्यवसाय कृषि है। कृषि श्रमिक के रूप में जीवन–यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत 14 है जबकि 20.33 प्रतिशत श्रमिक परिवार केवल मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। कुल श्रम परिवारों का 8.33 प्रतिशत परिवार अपना पारम्परिक धंधा अपनाये हुए हैं जैसे बढ़ईगिरी, लुहारगिरी आदि। मात्र 2 प्रतिशत श्रम परिवार पशुपालन व्यवसाय में संलग्न हैं जबकि 11.37 प्रतिशत श्रमिक निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:–

तालिका

औद्योगिक श्रम परिवार व्यवसाय

श्रम परिवार का व्यवसाय	सेवायोजित श्रम परिवारों का प्रतिशत
कृषि	40.67
कृषि मजदूरी	14.00
मजदूरी	20.33
पारम्परिक धन्धे	8.33
पशुपालन	2.00
निजी क्षेत्र में नौकरी	11.37
अन्य छोटे व्यवसाय	2.60
उद्योग धन्धे	0.70
योग	100.00

स्रोत : स्व–सर्वेक्षण पर आधारित

5.आय का वितरण

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती है क्योंकि वृद्धित मुद्रा–स्फीति के कारण सभी वस्तुएं एवं सेवाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं कि जीवन–यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। न्यादर्श आधार पर चयनित 300 श्रमिकों की पारिवारिक मासिक आय का विवरण तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा हे–

तालिका

श्रमिकों की पारिवारिक मासिक आय का वितरण

मासिक आय प्रखण्ड	**श्रम परिवारों की संख्या**	**कुल का की संख्या**
3750 रू० से कम	45	15.00
3751 रू० से लेकर 4999 रू० तक	70	23.33
5000 रू० से लेकर 7499 रू० तक	146	48.67
7500 रू० से लेकर 9999 रू० तक	28	9.33
10000 रू० से अधिक	11	3.67
योग	300	100.00

स्रोत : स्व–सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित

उपर्युक्त तालिका पर दृष्टिपात से स्पष्ट है कि 38.33 प्रतिशत श्रमिक 5000 रूपये से कम प्रतिमाह वेतन पर कार्य करके अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं। कुल श्रमिकों के 87 प्रतिशत श्रमिकों का वेतन शून्य से लेकर 7500 रूपये की बीच है। 7500 रूपये से अधिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या मात्र 13 प्रतिशत है जबकि 10000 रूपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या 3.67 प्रतिशत है। श्रमिकों की अशिक्षा, निम्न कौशल–स्तर एवं तकनीकी शिक्षा की कमी ऐसे घटक हैं जिनके कारण श्रमिकों का वेतन पर्याप्त कम है। वही दूसरी ओर उद्योगों में निम्न क्षमता उपयोग, विद्युतापूर्ति में रूकावट, कच्ची सामग्री की अपर्याप्तता, बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा एवं सेवायोजकों की सुदृढ़ सौदाकारी शक्ति ऐसे घटक हैं जिनका सीधा सम्बन्ध श्रमिकों के मजदूरी–स्तर से हैं।

6.उपभोग तथा जीवन–स्तर

औद्योगिक श्रमिक समाज का एक निर्धन तथा पिछड़ वर्ग होता है जिसकी आय का साधन अनिश्चित होता है क्योंकि लगातार विद्युतापूर्ति में व्यवधान के कारण उत्पादन स्तर में गिरावट जारी है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह पड़ रहा है कि

अस्थायी श्रमिकों की जबरी छुट्टी का दौर जारी है। श्रमिकों को इस प्रकार कम दिन ही रोजगार मिल पा रहा है। रोजगार दिवसों में कमी के कारण श्रमिकों की आय में श्रमिकों की आय में कमी आती जा रही है। कम आय के कारण इन्हें अपने परिवार का भरण–पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को ही बड़ी मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं। इन श्रमिकों के व्यय की मुख्य मदें हैं– ''खाद्य पदार्थ, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, संचार, परिवहन, आभूषण, सिनेमा व मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान व तीज–त्यौहार, पर्यटन, बच्चों की शिक्षा, पान, सुपारी, तम्बाकू तथा मादक पदार्थ आदि।''

खाद्य सामग्री में गेहूँ, दालें, चावल, सब्जियाँ तथा आटा प्रमुख हैं।[2] उपर्युक्त विभिन्न मदों पर श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले व्ययों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है जो इस प्रकार हैं– (1) खाद्य पदार्थ, (2) कपड़ (3) ईंधन व रोशनी तथा (4) विविध व्यय। इन चारों मदों पर श्रमिकों का विगत तीन वर्षों का औसत व्यय एवं उनका कुल व्यय पर प्रतिशत तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है:–

तालिका

कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक श्रम परिवारों का औसत उपभोग व्यय तथा विभिन्न मदों पर कुल उपभोग व्यय का प्रतिशत

उपभेग व्यय की मद	वार्षिक व्यय प्रति श्रमिक (रू०)	कुल व्यय का प्रतिशत
खाद्य पदार्थ	39904.68	74
कपड़े	4314.00	8
ईंधन व रोशनी	4853.28	9
विविध व्यय	4853.28	9
योग	53925.24	100

स्रोत : स्व–सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित

उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित समकं पर दृष्टिपात से स्पष्ट है कि औद्योगिक श्रमिकों के कुल व्यय का बड़ा भाग खाद्य पदार्थों पर ही व्यय होता है। यह निर्विवाद सत्य है कि मुद्रा–स्फीति के कारण श्रमिकों की मजदूरी दरों में समय–समय पर वृद्धि की जाती रही है परन्तु फिर भी खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने निधन औद्योगिक श्रमिकों की कमर तोड़कर रख दी है। प्रति परिवार औसत ऋण राशि 19596.68 रूपये अभिलिखित की गई जो वार्षिक आय का लगभग 27 प्रतिशत है। इस राशि को सार्थक माना जा सकता है। जीवन–स्तर पर आय एवं उपभोग दोनों का मिश्रित प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक श्रमिकों को बड़ा भाग निर्धनता–रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहा है। उपभोग व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण इन्हें उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है ताकि अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर सकें। ये समस्त तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों का जीवन–स्तर निम्न है।

सन्दर्भ

1. Jain & Gupta Personnel Management & Industrial Laws, Mahaveer Book, Depot, Delhi, 2005, p. 143
2. औद्योगिक श्रमिकों के व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित